रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No...
Date...
GOV OF INDIA

सं० 208] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 1976/कार्तिक 12, 1898

No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 1976/KARTIKA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st November 1976

No. 2(96)/76-Special Cell.—The programme for departmentalisation of accounts in the Ministries and Departments of Government of India has been implemented in three phases, the last and final phase of integration of accounts with the Ministries and Departments having been completed on 1st October, 1976. The major objective of the departmentalisation of accounts is to improve the financial competence of the Ministries and Departments and make accounts an effective tool of management using timely and accurate flow of financial and accounting information, for programming, budgeting and evaluation of various activities and for the optimum utilisation and efficient monitoring of resources. In order to fully utilise the potential of the new accounting organisation, Management Accountancy System should be evolved on suitable lines in Government. A comprehensive Management Information System should also be built up in the Ministries and Departments for the proper interpretation and utilisation of accounting data for purposes of policy formulation, effective utilisation of funds and achievement of maximum efficiency at optimum costs. Since the range of Government activities go far beyond the confines of routine administration and cover a wide spectrum of economic and social activities of vital importance to the country, Management Accountancy and the Management Information System to be developed will also have to be multifaceted and shaped to suit the requirements of each Ministry/Department. To consider and make recommendations regarding Management Accountancy

concepts and Management Information System, an Advisory Committee is hereby appointed under the Chairmanship of Finance Minister consisting of the following members.

(1) Finance Secretary

(2) Secretary (Expenditure)

(3) Secretary (Industrial Development)

(4) Additional Secretary, Department of Personnel & Administrative Reforms

(5) Chief Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Government of India

(6) Shri V. G. Rajadhyaksha, Chief Consultant & *ex-officio* Secretary, Planning Commission

(7) B. R. Maheswari, President, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

(8) Shri A. K. Biswas, President, The Institute of Cost and Works Accountants of India, Calcutta

(9) Shri V. A. Pai Panandiker, Director, Centre for Policy Research, New Delhi.

(10) Prof. V. S. Murty, Professor of Business Management, J. Bajaj Institute of Management, University of Bombay, Bombay

(11) Shri S. K. Bhattacharyya, Professor of Management, Indian Institute of Management, Ahmedabad

(12) Controller General of Accounts (Convener)

2. The terms of reference of the Committee shall be to :

(1) consider and recommend concepts of Management Accountancy suitable to the needs of Ministries and Organisations engaged in economic and welfare activities.

(2) recommend installation of integrated management information system for capturing, processing and presentation of reliable and timely accounting information to management for planning, policy formulation, control and supervision and decision making.

(3) evaluate the system for Receipt and Payment accounting of the departmentalised accounting organisation in the Ministries and Departments of the Government of India to assess how far the system and its techniques are in consonance with the principles of Management Accounting and to suggest improvements.

(4) evaluate the present status of performance budgeting in Central Government and State Governments and assess the scope for utilising performance budgeting techniques at various administrative levels for setting up standards and norms for measuring performance and for evolving procedures for comparison of actual performance with budgetary targets.

(5) review the system of *exchequer control* in the Departments and Ministries so that there may be effective monitoring of expenditure in relation to provisions in the budget including quantitative appraisal of performance and qualitative assessment as to whether the objectives of the programme are being fulfilled.

(6) consider and recommend appropriate information processing and review systems utilising modern methods and techniques like mechanisation, Electronic Data Processing and Computerisation, and

(7) devise training programmes suitable for Senior and Middle levels of administration and accounts.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and it be published in the Gazette of India for general information.

B. MAITHREYAN, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1976

सं० 2(96)/76-विशेष कक्ष.—भारत सरकार के मन्त्रालयों और विभागों में लेखाओं के विभागीयकरण का कार्यक्रम तीन चरणों में कार्यान्वित हो चुका है; मन्त्रालयों/विभागों के साथ लेखाओं के एकीकरण का पिछला और अन्तिम चरण 1 अक्तूबर, 1976 को पूरा हुआ। लेखाओं के विभागीयकरण का मुख्य उद्देश्य मन्त्रालयों और विभागों की वित्तीय क्षमता को बढ़ाना है और लेखाओं को वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी सूचना के सामयिक और सही प्रवाह का प्रयोग करते हुए कार्यक्रम तैयार करने, बजट बनाने और विभिन्न कार्यकलापों के मूल्यांकन करने और साधन-स्रोतों के अधिकतम इस्तेमाल करने और कुशल नियन्त्रण रखने के लिए प्रबन्ध व्यवस्था का प्रभावी साधन बनाना है। नए लेखा संगठन की क्षमता को पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए सरकार में प्रबन्ध लेखा प्रणाली का उचित आधार पर विकास किया जाना चाहिए। नीति निर्माण, निधियों के प्रभावी रूप से इस्तेमाल किए जाने और इष्टतम लागत पर अधिक से अधिक कार्य-कुशलता प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए लेखा सम्बन्धी सूचना के उचित निर्वचन और उपयोगीकरण के लिए मन्त्रालयों और विभागों में एक व्यापक प्रबन्ध सूचना प्रणाली का निर्माण भी किया जाना चाहिए। चूंकि सरकारी कार्यकलापों की सीमा ने भी प्रशासन की सीमाओं में बहुत आगे तक जाती है और उसके अन्तर्गत देश के लिए बहुत महत्व के आर्थिक और सामाजिक कार्यकलापों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है इसलिए विकसित होने वाली प्रबन्ध लेखा प्रणाली और प्रबन्ध सूचना प्रणाली बहुमुखी और इस प्रकार की होनी है ताकि वे प्रत्येक मन्त्रालय/विभाग की आवश्यकताओं के लिए अनुकूल हो सके। प्रबन्ध लेखा प्रणाली सम्बन्धी संकल्पनाओं और प्रबन्ध सूचना प्रणाली के सम्बन्ध में विचार करने और सिफ़ारिशें करने के लिए वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में एतत द्वारा एक सलाहकार समिति नियुक्त की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) वित्त सचिव ।

(2) सचिव (व्यय)।

(3) सचिव (औद्योगिक विकास) ।

(4) अपर सचिव, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ।

(5) मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मन्त्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार।

(6) श्री बी० जी० राजाध्यक्ष, मुख्य परामर्शदाता पदेन सचिव, योजना आयोग ।

(7) श्री बी० आर० महेश्वरी, अध्यक्ष भारतीय चार्टर्ड लेखा संस्थान, नई दिल्ली ।

(8) श्री ए० के० विश्वास, अध्यक्ष, भारतीय लागत तथा निर्माण-कार्य लेखाकार-संस्थान, कलकत्ता ।

(9) श्री बी० ए० पै, पनन्दीकर, निदेशक, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली ।

(10) प्रो० बी० एस० मूर्ति, प्रोफ़ेसर, व्यापार प्रबन्ध, जे० बजाज इंस्टीच्यूट आफ़ मनेजमेंट बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई ।

(11) श्री ऐस० के० भट्टाचार्य, प्रोफ़ेसर प्रबन्ध, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ।

(12) महा लेखा-नियन्त्रक (संयोजक) ।

2. समिति के निर्देश पद निम्न प्रकार होंगे :—

(1) आर्थिक और कल्याण सम्बन्धी कार्यकलापों में रत मन्त्रालयों तथा संगठनों की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रबन्ध लेखा प्रणाली की संकल्पनाओं पर विचार करना और उनकी सिफ़ारिश करना ।

(2) आयोजन नीति निर्धारण, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण तथा निर्णय लेने के सम्बन्ध में विश्वसनीय तथा सामयिक लेखा सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने, उसकी प्रक्रिया करने और प्रबन्ध व्यवस्था के पास उसे प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली लागू करने की सिफ़ारिश करना ।

(3) भारत सरकार के मन्त्रालयों और विभागों में विभागीयकृत लेखा संगठन के प्राप्ति तथा भुगतान सम्बन्धी लेखे रखने की प्रणाली का यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करना कि यह प्रणाली और उसके तरीके कहां तक प्रबन्ध लेखा प्रणाली के सिद्धान्तों के अनुरूप हैं और सुधार करने के लिए सुझाव देना ।

(4) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में निष्पादन बजट की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना और बजट सम्बन्धी लक्ष्यों के साथ वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना करने के लिए कार्य निष्पादन का माप करने के लिए मानक और प्रतिमान निर्धारित करने और कार्यविधियां तैयार करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर निष्पादन बजट तकनीकों के उपयोग के सम्भावित क्षेत्र का निर्धारण करना ।

(5) विभागों तथा मन्त्रालयों में राजकोष नियन्त्रण की प्रणाली की समीक्षा करना ताकि बजट में किए गए उपबन्धों के सम्बन्ध में व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण हो, जिसमें इस आशय का निष्पादन का मात्रात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक निर्धारण भी शामिल हो कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं ।

(6) मशीनीकरण, इलैक्ट्रानिकी सूचना प्रक्रियाकरण और संगणीकरण जैसी आधुनिक पद्धतियों और तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उपयुक्त सूचना प्रक्रियाकरण और समीक्षा प्रणालियों पर विचार करना और उनकी सिफ़ारिश करना; और

(7) प्रशासन तथा लेखाओं के वरिष्ठ तथा बीच के स्तरों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए । और इसे सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० मैत्रेयन, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976